न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट अजमेर

प्रार्थना पत्र संख्याः 127/2019

आई.डी.एफ.सी फर्स्ट बैंक लि0, पंजीकृत कार्यालय–के.आर.एम टॉवर, सातवा तल, नम्बर 1, हेरीगटोन रोड, चेटपेट, चैन्नई, तमिलनाडु। शाखा कार्यालय–पॉचवा तल, मनउपासना प्लाजा, सरदार पटेल मार्ग, चौमू हाउस सर्किल, सी–स्कीम, जयपुर–302001 राजस्थान

.....**प्रार्थी/सिक्योर क्रेडिटर**

बनाम

(1). मैसर्स दुर्गेश इण्डस्ट्रिज, प्रोपराईटर श्री रणजीत चौधरी
पताः– प्लाट नं0 358, इण्डस्ट्रिज एरिया फेज 4, किशनगढ, जिला अजमेर, राज0 305801
(2). श्रीमती सुशीला देवी
पताः– प्लाट नं0 575, बानी रीया की ढाणी, सुरसुरा किशनगढ, जिला अजमेर राज0 305802
(3). श्रीमती सम्पत देवी चौधरी
पताः– प्लाट नं0 575, बानी रीया की ढाणी, सुरसुरा किशनगढ, जिला अजमेर राज0 305802
(4). श्री दुर्गेश चौधरी
पताः– प्लाट नं0 358, इण्डस्ट्रिज एरिया फेज 4, किशनगढ, जिला अजमेर, राज0 305801
(5). श्री दिनेश चौधरी
पताः– प्लाट नं0 358, इण्डस्ट्रिज एरिया फेज 4, किशनगढ, जिला अजमेर, राज0 305801
(6). श्रीमती सम्पत देवी चौधरी
पताः– प्लाट नं0 358, इण्डस्ट्रिज एरिया फेज 4, किशनगढ, जिला अजमेर, राज0 305802
(7). श्रीमती सुशीला देवी
पताः– प्लाट नं0 358, इण्डस्ट्रिज एरिया फेज 4, किशनगढ, जिला अजमेर, राज0 305802
(8). श्री दिनेश चौधरी
पताः– प्लाट नं0 575, बानी रीया की ढाणी, सुरसुरा किशनगढ, जिला अजमेर राज0 305802
(9). श्री दुर्गेश चौधरी
पताः– प्लाट नं0 575, बानी रीया की ढाणी, सुरसुरा किशनगढ, जिला अजमेर राज0 305802

.....**अप्रार्थीगण/ऋणी**

प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 14 दी सिक्यूराईटेशन रिक्सट्क्शन आफ फाईनेनिशयल ऐसिटस एण्ड एनफोर्समेन्ट आफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002

उपस्थित :– श्री विनोद खाण्डल – अभिभाषक प्रार्थी

आदेश **दिनांक 24.09.2019**

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी कम्पनी/बैंक ने अप्रार्थीगण 01 लगायात 09 को दिनांक 18.03.2015 को कमशः रू. 22,30,000/– (अक्षरे बाईस लाख तीस हजार रूपये मात्र) की ऋण सुविधा स्वीकृत की थी। इस हेतु अप्रार्थीगण/ऋणी ने आवश्यक दस्तावेजात निष्पादित कर इण्डस्ट्रियल एरिया, फेज 4, किशनगढ, जिला अजमेर स्थित औद्योगिक भूमि एवं उस पर निर्मित भवन प्लाट नं. एच 1–358, जिसका क्षैत्रफल 500 वर्ग गज है, जो श्री रणजीत लाल चौधरी प्रो. मैसर्स दुर्गेश

जिला मजिस्ट्रेट अजमेर

जिला मजिस्ट्रेट
अजमेर

Scanned by CamScanner

इण्डस्ट्रिज के नाम से है, को बतौर जमानत प्रार्थी बैंक के पास बन्धक रखा था। अप्रार्थीगण नियमित रूप से प्रार्थी बैंक को उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सके और बकाया ऋण के भुगतान में व्यतिक्रम व चूक कर दी और दिनांक 31.03.2017 को डिफाल्टर हो गये। प्रार्थी बैंक द्वारा अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण ऋणी को दिनांक 28.02.2019 को रजिस्टर्ड मांग नोटिस रूपये– 28,05,780.64/– (अक्षरे अठाईस लाख पांच हजार सात सौ अस्सी एवं चौसठ पैसे) का जारी किया गया। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने में चूक की। ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का सम्पूर्ण कब्जा भी प्रार्थी बैंक को नहीं सम्भलाया है। प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of securities interest Act 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते में देय राशि के पुर्नभुगतान हेतु रहनशुदा सम्पति का कब्जा प्रार्थी बैंक को जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक प्रस्तुत किया गया।

अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया। अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थनापत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये प्रकट किया कि अप्रार्थीगणों ने उसके खाते में देय ऋण राशि मय ब्याज की राशि के भुगतान हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अर्न्तगत नोटिस प्राप्त करने के बावजूद भी प्रार्थी बैंक को जमा नहीं कराया है। The Securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of securities interest Act 2002 की धारा 14 के तहत अप्रार्थीगण को सुने जाने का प्रावधान नहीं है। अप्रार्थी के प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 16.9.2019 की कोई विधिक मान्यता नहीं है। अतः उक्त अधिनियम की धारा 14 के अर्न्तगत प्रार्थी बैंक के पक्ष में उक्त रहन रखी सम्पति का अधिनियम के प्रावधान अनुसार कब्जा प्रार्थी बैंक को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुये प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी बैंक द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अर्न्तगत नोटिस जारी करने के पश्चात भी मांग की गई राशि का अप्रार्थीगणों द्वारा भुगतान नहीं किया है। अतः The Securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of securities interest Act 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी बैंक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण ऋणी की ओर से प्रार्थी बैंक के पक्ष में बंधक सम्पति इण्डस्ट्रियल एरिया, फेज 4, किशनगढ, जिला अजमेर स्थित औद्योगिक भूमि एवं उस पर निर्मित भवन प्लाट नं. एच 1–358, जिसका क्षैत्रफल 500 वर्ग गज है, जो श्री रणजीत लाल चौधरी प्रो. मैसर्स दुर्गेश इण्डस्ट्रिज के नाम से है, का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा जरिये संबधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्त सम्पति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों में देय है तो संबंधित बैंक द्वारा वहन किया जायेगा। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक, पुलिस अधीक्षक, अजमेर को हस्ब कायदा जारी हो।

आदेश आज दिनांक 24.09.2019 को सुनाया गया।

(विश्व मोहन शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट
अजमेर

जिला मजिस्ट्रेट अजमेर

Scanned by CamScanner